

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/6518 /

जबलपुर, दिनांक 14/12/2018

श्रीमति निधि दवे शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से एम.ओ.एम (मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट) पाठ्यक्रम की परीक्षा सत्र 2018-19 में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/6519 /

जबलपुर, दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमति निधि दवे शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(यू. एस. दुबे) 12/12/2018
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
L

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक..... B/6514 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 14/12/2018

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/5417/चार-12-15/99 भाग-ग्यारह जबलपुर, दिनांक 09-10-2018 'जिसके द्वारा श्री पुष्पेन्द्र जैन, निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., मुख्यपीठ जबलपुर, को दिनांक 01-07-2017 से द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है' को संशोधित कर दिनांक 01-07-2017 के स्थान पर दिनांक 08-05-2012 से द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/6515 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार, प्रशा./डी.ई./कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. सहायक सेवा पुस्तिका एवं वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारियों का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए।
9. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. श्री पुष्पेन्द्र जैन, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर इस रजिस्ट्री के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी/5418 जबलपुर दिनांक 09.10.2018 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
13

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक.....B/6512...../
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 14 / 12 / 2018

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1424/चार-12-15/99 जबलपुर, दिनांक 28-05-2009 के अनुक्रमांक 19 "जहाँ तक उसका संबंध श्री उदयभान पुत्र श्री ग्यासीराम, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने से है" को वापस लेते हुए मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11/1/2008/ नियम/चार भोपाल, दिनांक 30-10-2010 के आलोक में उन्हें दिनांक 11-10-2006 से प्रथम समयमान वेतनमान 4440-7440 + 1400 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक.....B/6513...../
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 14 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
10. श्री उदयभान पुत्र श्री ग्यासीराम, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर

की ओर इस रजिस्ट्री के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक सी/1425 जबलपुर दिनांक 28.05.2009 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र सय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)